

उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा।

(पंचायत शाखा)

विज्ञापन संख्या-01/2021

15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत अनुमान्य अनिवार्य गतिविधियों के संचालन के निमित्त पंचायतों में ग्रामीण निवासियों को सेवाएँ प्रदान करने के क्रम में पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु जिला स्तरीय पैनल में चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न सेवाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं-

क्रं०	सेवा का नाम	पद की संख्या	आरक्षण वर्ग					
			ST	SC	BC-I	BC-II	UR	EWS (10प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कनीय अभियंता	12	01	02	02	01	05	01
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	22	02	04	03	02	10	01

क्षैतिज आरक्षण

महिला 5 प्रतिशत (अना०/किसी भी आरक्षित वर्ग से)	खेलकूद	का० वि० के संकल्प सं०-2249 दिनांक-03.04.2018 की कण्डिका-03 (ख) एवं 6.1 के अनुसार (4 प्रतिशत)			
		अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं अशक्त निःशक्तता	चलन निःशक्त	स्वालीनता/ बहु निःशक्त
10	11	12	13	14	15
01	00	00	00	00	00
01	00	01	00	00	00

2. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया:-

(a) पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिले के वेबसाइट **koderma.nic.in** से डाऊनलोड किया जा सकता है।

(b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।

(c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कोडरमा के पदनाम से देय होगा/करना होगा, जिसका विवरणी निम्नवत है :-

क्रं०	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/-रुपये	सामान्य
		300/-रुपये	अ०जा०, अ०ज०जा० एवं महिला
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/-रुपये	सामान्य
		300/-रुपये	अ०जा०, अ०ज०जा० एवं महिला

(d) आवेदन जमा करने की तिथि:-17 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक।

(e) आवेदन पत्र जिला पंचायत राज कार्यालय, कोडरमा के ई-मेल

(kodermadpro@gmail.com) में समर्पित किया जा सकता है। परन्तु इसकी भी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से अथवा स्वयं कार्यालय अवधि (10.00 AM TO 5.00 PM) में जिला पंचायत राज कार्यालय, कोडरमा में जमा करना होगा।

3. सेवा अनुबंध हेतु पैनल में चयन हेतु योग्यता एवं शर्तों से संबंधित विवरणी जिले के वेबसाईट koderma.nic.in पर देखा जा सकता है।

अनु०:- यथोक्त।

६०/-

उपायुक्त
कोडरमा।

ज्ञापांक: -128/पं०,

दिनांक-.....12/03/2021

प्रतिलिपि:-1. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त सूचना को सभी दैनिक समाचार-पत्रों में दिनांक-15.03.2021 को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

2. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन एवं संलग्न अधिसूचना/पत्र तथा आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

१२/३/२१

उपायुक्त
कोडरमा।

पत्र संख्या :- 01 स्था (वि0) 110/2018 447

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

प्रेषक,

आदित्य रंजन, भा0प्र0से0
निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कैक्स/ई-मेल

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक :- 25.2.2021

विषय :- 15वें वित्त आयोग मद अन्तर्गत पंचायतों में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा, सेवा अनुबंध पर प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय अधिसूचना संख्या 395 दिनांक 19.02.2021 एवं पत्रांक 410 दिनांक 22.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण किया जाय। इस संबंध में दिनांक 23.02.2021 को सभी जिलों के साथ Webinar के माध्यम से विमर्श किया गया। विमर्श के क्रम में जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला स्तर पर पैनल तैयार करने हेतु निम्न संशोधित समय सारिणी के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई पूर्ण करने की कृपा की जाय :-

क्रमांक	आवश्यक कार्रवाई	समयावधि
1	2	3
1	सभी जिलों में एक साथ विज्ञापन का प्रकाशन	15 मार्च 2021
2	आवेदन प्राप्त करने की अवधि	17 मार्च 2021 से 23 मार्च 2021 तक
3	प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक जाँच	30 मार्च 2021 तक
4	प्रारंभिक मेधा सूची का औपबधिक प्रकाशन	05 अप्रैल 2021 तक
5	प्रारंभिक मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की अवधि	06 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक
6	लिखित / दक्षता परीक्षा हेतु मेधा सूची का प्रकाशन	16 अप्रैल 2021
7	लिखित / दक्षता परीक्षा का आयोजन	20 अप्रैल 2021
8	अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	27 अप्रैल 2021
9	चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच	30 अप्रैल 2021
10	जिला स्तरीय पैनल का प्रकाशन	05 मई 2021

अनुरोध है कि प्रासंगिक अधिसूचना के आलोक में जिला स्तरीय पैनल तैयार करने हेतु आरक्षण रोस्टर अविलम्ब स्वच्छ कराते हुए सभी अपेक्षित कार्रवाई ससमय पूर्ण करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 01 स्था (वि0) 110/2018 447, राँची, दिनांक :- 25.2.2021


प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

आवेदन पत्र (ए-4 साईज पेपर में मुदित)

1. सेवा जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :-

2. आवेदक का नाम :-
(हिन्दी एवं अंग्रेजी में)



3. पिता/पति का नाम :-

4. आरक्षण कोटि :-

(सक्षम स्तर से निर्गत स्थानीयता, जाति, आय एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न की जाय)

5. जन्म तिथि :-

6. पत्राचार का पता :-

7. स्थायी पता :-

8. राष्ट्रीयता :-

9. मोबाईल नं०-

10. ई-मेल :-

11. शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	परीक्षा के विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

(शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय)

12. अनुभव एवं नियोजनों का विवरण यदि हो :-

पद का नाम	स्थायी/अस्थायी /संविदा/अन्य	पदग्रहण की तिथि	पदत्याग की तिथि	नियोजक का नाम एवं पूरा पता
1				
2				
3				

(नियोजन अवधि में मानदेय भुगतान से संबंधित विवरणी एवं प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय)

13. उम्मीदवार का पहचान चिन्ह:-

14. आवेदन शुल्क भुगतान संबंधी विवरणी :-

15. आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों की सूची :-

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

16. मैं घोषित करता हूँ कि :-

- (क) इस आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- (ख) मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र मांग करने पर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
- (ग) यदि परीक्षा से पूर्व या पश्चात् किसी समय कोई सूचना गलत या असत्य पायी जाएगी तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है एवं मेरे विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान एवं दिनांक:-

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायत राज)

अधिसूचना

अ0सू0सं0 :- 01 स्था (वि0) 110/2018335...../पं0 राँची, दिनांक :- 19.2.21

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज) द्वारा 15वें वित्त आयोग मद की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को विमुक्त की जा रही है। 15वें वित्त आयोग द्वारा O&M एवं पूँजीगत व्यय के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। पंचायतें 15वें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग अनिवार्य गतिविधियों में पंचायतों में/ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध/सेवा अनुबंध कर सकती हैं। उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत स्तर पर 15वें वित्त आयोग मद से योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं इनसे संबंधित ऑनलाईन कार्यों के सम्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के निमित्त ग्राम पंचायत सेवा अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित 02 (दो) तरह के कर्मियों की सेवा प्राप्त कर सकती है। सेवा अनुबंध के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा कर्मी को भुगतान 15वें वित्त आयोग मद की अनाबद्ध अनुदान मद राशि से अनुमान्य होगा।

क0	सेवा क्षेत्र का नाम	संख्या	अधिकतम मासिक देय राशि
1	2	3	4
1	कनीय अभियंता के रूप में	526 (दो प्रति प्रखंड की दर से)	17000/-
2	लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में	869 (प्रत्येक पाँच पंचायत पर एक, जिलावार विवरणी संलग्न)	10000/-

ग्राम पंचायतों द्वारा सेवा अनुबंध हेतु कर्मियों के चयन हेतु जिला स्तर पर अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें अंकित अभ्यर्थियों में से ग्राम पंचायत योग्य अभ्यर्थी के साथ सेवा अनुबंध कर सकेगी।

2. कनीय अभियंता :

क- आरक्षण नीति :

कनीय अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

ख- शैक्षणिक योग्यता :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

ग- उम्र सीमा :

कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

क०प०उ०

घ- चयन की प्रक्रिया :

I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशांसा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. उपायुक्त | - | अध्यक्ष |
| 2. उप विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| 3. निदेशक, डी0आर0डी0ए0 | - | सदस्य |
| 4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी | - | संयोजक |
| 5. कार्यपालक अभियंता (विशेष प्रमंडल/पथ निर्माण) | - | सदस्य |
| 6. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित
(उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी) | - | सदस्य |

उपरोक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं विषय के ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

च- मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

(a) सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची कंडिका छ-1 में अंकित मापदण्ड के आधार पर अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

(b) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय (अभियंत्रण) ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

छ- मूल्यांकन :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	विषय ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. विषय ज्ञान संबंधी जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

3. लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर :

क- आरक्षण नीति :

लेखा लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत जिलावार आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

ख- शैक्षणिक योग्यता :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी०कॉम/बी०एस०सी० (गणित/सांख्यिकी)/बी०ए० (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होगा।

(ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव- संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग- उम्र सीमा :

लेखा-लिपिक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना 01.01.2021 के आधार पर की जाएगी।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

घ- चयन की प्रक्रिया :

I. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अनुशंसा की जाएगी। जिला स्तरीय चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. उपायुक्त-	अध्यक्ष
2. उप विकास आयुक्त-	सदस्य
3. जिला लेखा पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय वाणिज्यकर सेवा के पदाधिकारी	सदस्य
4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी-	संयोजक
5. जिला स्तरीय NIC के पदाधिकारी-	सदस्य
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए नामित- (उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी)	सदस्य

उपरोक्त सभी चयन समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

II. चयन शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं कंप्यूटर जाँच के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा।

च- मेधा सूची तैयार करने की पद्धति :

(a) सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में आरक्षणवार रिक्तियों की तीन गुणा अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य, वांछनीय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी।

(b) उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान हेतु जाँच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(c) अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनाल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

(d) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा।

छ- मूल्यांकन :

I. अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	कम्प्यूटर ज्ञान	योग
50	10	30	10	100

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी।

V. अनुभव का तात्पर्य है 14th FC में कार्य करने का अनुभव। जिसका प्रमाण मानदेय भुगतान संबंधी विवरणी के आधार पर होगा।

4. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

(a) पैनाल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे वेबसाईट से डाऊनलोड किया जा सकता है। वेबसाईट की सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी।

(b) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा एवं पदवार अलग-अलग शुल्क जमा करना होगा।

(c) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा, जो निम्नवत होगा :-

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/- रुपये	सामान्य
		300/- रुपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/- रुपये	सामान्य
		300/- रुपये	अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं महिला

कृ०पृ०उ०

(d) राशि के भुगतान एवं माध्यम के संबंध में निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा एवं अग्रिम सूचना विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी।

(e) आवेदन से प्राप्त राशि के उपयोग/व्यय के संबंध में विभाग स्तर से अलग से दिशा निदेश निर्गत किया जाएगा।

(f) आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से भी समर्पित किया जा सकता है। परंतु इसकी भी प्रति स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से कार्यालय अवधि में भेजे जाने होंगे। इसके लिए ई-मेल की भी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी।

(g) आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(h) पैनल में चयन की प्रक्रिया पूरे राज्य में एक साथ प्रारंभ की जाएगी अर्थात् सभी जिलों में एक साथ चयन हेतु आवेदन पत्र मांगे जायेंगे एवं आवेदन पत्र संबंधित जिले में ही समर्पित किए जायेंगे।


5. सेवा अनुबंध पर कार्य लेने हेतु शर्तें निम्नवत् होगी :-

- i. चयन समिति केवल पैनल में नाम हेतु अनुशंसा करेगी।
- ii. चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत के चयन के संबंध में उपायुक्त के स्तर से निर्णय लिया जा सकेगा। उपायुक्त के स्तर से पंचायतों का कलस्टर तैयार किया जायेगा।
- iii. चयनित अभ्यर्थियों से प्रखण्ड एवं पंचायतों के कलस्टर हेतु विकल्प मांगा जाएगा। योग्यता सह विकल्प (Merit cum Choice) के आधार पर प्रखण्ड एवं पंचायत का कलस्टर अभ्यर्थी को कर्णांकित किया जाएगा।
- iv. कर्णांकित अभ्यर्थियों में से कनीय अभियंता का सेवा अनुबंध संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- सचिव, पंचायत समिति करेंगे तथा लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर का अनुबंध संबंधित पंचायत कलस्टर के सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा किया जाएगा।
- v. सेवा अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए किया जाएगा। एक वर्ष के पश्चात उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी जिसके आधार पर सेवा की आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर एक-एक वर्ष के लिए सेवा अनुबंध का नवीकरण किया जा सकेगा किन्तु सेवा अनुबंध सिर्फ 15वें वित्त आयोग की अवधि तक के लिए ही अनुमान्य होगा एवं किसी भी परिस्थिति में इसे आयोग की अवधि के पश्चात की अवधि के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा।
- vi. सेवा अनुबंध का वार्षिक नवीकरण सेवा की आवश्यकता, कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा अनुबंध स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- vii. उपर्युक्त अवधि में सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मों को किसी अन्य स्थान/संस्थाओं इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में संवेदक अथवा किसी अन्य रूप में कार्य करने अथवा निविदा में भाग लेने की अनुमति संबंधित कर्मों अथवा उनके पारिवारिक सदस्यों को नहीं होगी।

-: 6 :-

- viii. यदि कोई कार्यरत कर्मी सेवा अनुबंध से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो संबंधित पंचायतों को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर सेवा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- ix. चयनित कर्मी का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया संयुक्त रूप से उसे कार्यमुक्त करने की स्पष्ट कारणों के साथ अनुशांसा उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे जिसपर उपायुक्त को 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित कर्मी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाएगा।
- x. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर से आवश्यक जाँच परिवाद प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपायुक्त को प्रेषित किया जाएगा। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर उपायुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे।
- xi. सेवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मी को सेवा अनुबंध के विरुद्ध निर्धारित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का मानदेय अथवा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- xii. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश सेवा अनुबंध कर्मियों को देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(आदित्य रंजन)

निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 01 स्था (वि0) 110/2018 395/पं0, राँची, दिनांक :- 19.2.2021


प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रसारण हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशनोपरांत उक्त अंक की 500 प्रतियाँ अभिलेख हेतु विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 01 स्था (वि0) 110/2018 395/पं0, राँची, दिनांक :- 19.2.2021


प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट- हिन्डू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ०

-: 7 :-

ज्ञापांक :- 01 स्था (वि0) 110/2018 335/पं0, राँची, दिनांक :- 19.2.2021
प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक-सह-संयुक्त सचिव।